हरपाल सिंह राणा बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन

मुकदमा संख्या:- 263/2022

वादी का जवाब

माननीय

1) दिल्ली मेट्रो के पिलरों से गिरने वाले पानी को व्यवस्थित करने (वाटर हार्वेस्टिंग) के लिए किए गए मुकदमे में दिए गया जवाब में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। इसमें वास्तविक सच्चाई दर्शाइ ही नहीं गई है और ना ही वास्तविक समस्या का समाधान किया गया या करने का आश्वासन दिया गया है।
2) इस जवाब से संबंधित विभागों की लापरवाही जरूर उजागर होती है, जिसको देखना और उसमें सुधार करना माननीय हरित अधिकरण की जिम्मेदारी बनती है और भविष्य में मेट्रो पिलर से गिरने वाले पानी का सदुपयोग हो और वह किसी प्रकार से भी परेशानी का कारण ना बने यह अधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए।

3) मैं एक नागरिक की हैसियत से विभागों की घोर लापरवाही को अपनी याचिका के माध्यम से विस्तार पूर्वक उजागर कर चुका हूं और हरित अधिकरण को बता कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर चुका हूं।

4) जिस पर अधिकरण को कार्यवाही सुनिश्चित करके जल संचय के नियमों को लागू करवाया जाना चाहिए जिससे हरित अधिकरण के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

धन्यवाद सहित

याचिकर्ता

हरपाल सिंह राणा

पता:- A-1, गांव कादीपुर, दिल्ली-110036

9136235051

harpalhindustan@gmail.com